बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

संकल्प

श्री शक्ति कुमार, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मोतिहारी –सह– प्रभारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पकड़ीदयाल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चकिया एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिकरहना के विरूद्ध अंशकालीन अतिथि अनुदेशकों के चयन हेतु आवेदन पत्रों के संधारण में अनियमितता किये जाने, जाँच दल को आवेदन उपलब्ध नहीं कराये जाने, आवेदनों पर ओवर राईटिंग पाये जाने, किसी और संस्थान के आवेदन पर दुसरे संस्थान का डायरी संख्या पाये जाने, एक ही डायरी संख्या की डायरी दो बार किये जाने, कुछ डायरी संख्या पर चयन समिति के अध्यक्ष का हस्ताक्षर नहीं होने, श्रम संस्थान विभाग के आदेश संख्या–2344 दिनांक–22.07.16 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का उल्लघंन कर मिस्लेनियस डायरी खोले जाने, जाँच दल को उपलब्ध कराये गये आवेदनों पर चयन समिति के अध्यक्ष का हस्ताक्षर नहीं पाये जाने, तथा मेरिट पैनल में अंतर पाये जाने के आरोप प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाये जाने के कारण प्रपत्र–'क' गठित किया गया एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 19 के आलोक में विभागीय पत्रांक–3656 दिनांक–28.12.17 द्वारा श्री कुमार को आरोप प्रपत्र–'क' सहित सभी साक्ष्यों की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए लघु दण्ड हेतु स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री शक्ति कुमार द्वारा अपने विरूद्ध गठित आरोप के बचाव के संबंध में पत्रांक –16 दिनांक–10.01.18 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में तीनों औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (चकिया, सिकरहना एवं पकड़ीदयाल) के संबंध में जाँच दल को आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं कई आवेदनों पर ओवर राईटिंग पाये जाने का कारण मिस्लेनियस डायरी बताया गया। अन्य आरोपों के संबंध में उनके द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि आवेदन की अधिकता, अल्प समय, मानव संसाधन की कमी एवं बाहर के डाटा इंट्री ऑपरेटर से काम लिये जाने के कारण मानवीय भूल हुई है।

3. श्री शक्ति कुमार, प्राचार्य से प्राप्त उक्त स्पष्टीकरण की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री शक्ति कुमार द्वारा अतिथि अनुदेशकों के लिए गये आवेदन पत्रों के संधारण में लापरवाही बरती गयी है तथा कतिपय मामलों में जाँच दल द्वारा तैयार मेरिट पैनल एवं उनके द्वारा तैयार मेरिट पैनल में अन्तर पाया गया है, जिसका दोष श्री शक्ति कुमार ने डाटा इंट्री ऑपरेटर पर डालने की कोशिश की है। इस प्रकार श्री शक्ति कुमार की लापरवाही एवं अनियमितता स्पष्ट रूप से प्रमाणित होती है। फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री शक्ति कुमार, प्राचार्य के विरूद्ध दो वेतनवृद्धि की असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

4. अतएव, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के भाग V के नियम 14 के कंडिका (V) के अलोक में श्री शक्ति कुमार, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मोतिहारी –सह– प्रभारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पकड़ीदयाल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चकिया एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिकरहना के विरूद्ध दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का लघु दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

5. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति आरोपित पदाधिकारी श्री शक्ति कुमार, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मोतिहारी को निबंधित डाक से उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
(सुधा रानी)
विशेष कार्य पदाधिकारी

600
1-6-18

ज्ञाप सं०–6/श्रम वि० आ० (01)– 196/2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो प्रति के साथ बिहार राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोघ है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियॉ विभाग को उपलब्ध करायें।

ह०/–
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञाप सं०–6/श्रम वि० आ० (01)– 196/2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञाप सं०–6/श्रम वि० आ० (01)– 196/2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै० दा० नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञाप सं०–6/श्रम वि० आ० (01)– 196/2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– श्री शक्ति कुमार, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञाप सं०–6/श्रम वि० आ० (01)– 196/2017 श्र०सं०– 1331 पटना, दिनांक– 08/6/2018
प्रतिलिपि–निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण/विशेष सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/अवर सचिव/प्रभारी गोपनीय चारित्री/लोक सूचना पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर/प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा–01 एवं 06), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

8.6.18
विशेष कार्य पदाधिकारी